

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 16 दिसम्बर, 2021

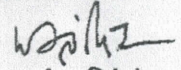
आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संलग्न चुनाव कार्यक्रम में उल्लेखित राज्य के 08 जिलों की 09 नगर निकायों में 11 सदस्यों के उप चुनाव दिसम्बर, 2021 के लिये मतदान दिनांक 21.12.2021 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः संबंधित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुये 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात् दिनांक 19.12.2021 को सांय 05.30 बजे से दिनांक 21.12.2021 को सांय 05.30 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,



(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:-एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/पार्ट-II/2021/ 6499

दिनांक 17.12.21

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) अलवर, बून्दी, जयपुर, जालोर, नागौर, राजसमन्द, सिरोही एवं टोंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(अशोक कुमार जैन)
उपसचिव
राज्य निर्वाचन आयोग